राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-I/2010 जयपुर, दिनांक : 5/5/11

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास के संबंध में।
संदर्भः- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.03.2011 एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट भाषण 2011-12 में की गई घोषणा।

महोदय,

उक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण 2011-12 के बिन्दु संख्या-107 में की गई घोषणा की क्रियान्विति हेतु आपके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य सरकार को अवगत हुआ है कि कतिपय जिलों द्वारा इस बजट घोषणा के क्रम में अतिक्रमण युक्त चारागाह, चरनोट ओरन आदि भूमियों पर चारागाह विकास हेतु अतिक्रमण हटवाने की ठोस कार्रवाई की जा रही हैं, परंतु इसके साथ ही अतिक्रमण से मुक्त इस वर्गीकरण की भूमि पर चारागाह विकास के कार्यो को प्राथमिकता से वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने की पृथक से कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो अनुचित है।

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना अधिकांश जिलों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा से पूर्व अनुमोदित करवा ली है, परंतु चारागाह विकास के इन कार्यो के संबंध में पूरक वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता होने पर तद्नुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि गांव में पूर्व से उपलब्ध अतिक्रमण से मुक्त चारागाह का विकास भी समयबद्ध सीमा में हो सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय (मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।

5/5/11
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव,ईजीएस

EE(V) for putting on website under subject - Charagah development

5/4/2011D:\RN Mehta\CMO\C.M.ALLOWENCEMENT.doc